

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलेक्टर रियांबड़ी

बीजाराम बनाम तहसीलदार

राजस्व वाद 88 आरटी एक्ट

मु. सं. 52/2019

दिनांक तारीख


हुक्म या कार्यवाही इनिशियल  
जज

नंबर व  
तारीख  
अहका  
इस हु  
की त  
में जा

06.2022

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प 2021 मे पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश कर अवगत करवाया कि वादी की मृत्यु हो गई है तथा उसके स्थान पर उसके वारिसान को वादीगण के रूप मे पक्षकार बनाया जावें। वकील वादी का सुना गया। वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी के कायम मुकाम मय संशोधित शीर्षक को रेकर्ड पर लिया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त, शामिल मिसल हो। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट मे बताया कि वादी ग्राम गेमलियावास की नामा. संख्या 638 जो कि श्री बुधाराम की विरासत का है, जिसके अनुसार वादी अपना नाम दियाराम पुत्र बुधाराम के स्थान पर बीजाराम दर्ज करवाना चाहता है। मुताबिक नामान्तकरण ख.न. 175 मे बुधाराम की विरासत खोली गई जिसमे बाबुलाल, बीजाराम, धर्मराम, आसाराम पि. बुधाराम, गलकाई स्व. बुधराम दर्ज रिकॉर्ड किया गया। ख.न. 175 के नये ख.न. 237, 238 कायम किये गये जिसमे वादी का नाम दियाराम पुत्र बुधाराम दर्ज कर दिया गया, अतः उपरोक्त ख.न. मे दियाराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार की जगह बीजाराम पुत्र बुधाराम किया जाना उचित है। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट व पत्रावली मे पेश रेकर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट मे शुद्धि किया जाना उचित बताया। अतः तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है, मौजा ग्राम गेमलियावास की सरहद मे स्थित खेत ख.न. 237 रकबा 1.05 हैक्टेयर, ख.न. 238 रकबा

1.16 हैक्टेयर, ख.न 681 रकबा 1.64 हैक्टेयर, ख.न. 682 रकबा 1.64 हैक्टेयर कुल रकबा 5.49 हैक्टेयर की खातेदारी मे दर्ज दियाराम पुत्र बुधाराम की जगह बिजाराम पुत्र बुधाराम दर्ज किया जाता है। राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबडी को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
रियांबडी